

परियोजना का नाम :- राज्य घोजना के अन्तर्गत चंच-लकोड़ा ग्रोव भूमि का निर्माण।

वन अधिकार विभाग, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - चंच/स्पूला
उहसील-चम्पावत, जिला-चम्पावत

अनापत्ति प्रमाण पत्र
जिला-चम्पावत उत्तराखण्ड में राज्य घोजना के अन्तर्गत चंच-लकोड़ा ग्रोव भूमि का निर्माण लगभग 12.00 किलोमीटर अन्तर्गत वन भूमि 2.920 हेक्टेक्टर सिविल सोयम भूमि 1.365 हेक्टेक्टर वन भूमि 2.100 हेक्टेक्टर अथवा कुल 7.920 हेक्टेक्टर वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चंच/स्पूला द्वारा दिनांक 22/6/19 को साधन ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के आविधानों के लक्ष्य आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया गया रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चंच/स्पूला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को लगभग 1.365 हेक्टेक्टर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जा रात्य एवं राही है।

80
ग्राम संविवास अधिकारी
उहसील-चम्पावत

राजा भद्र
राजा भद्र
ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान
उहसील-चम्पावत

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका निवरण उत्तम प्राप्ति में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत अंच/स्कूलोला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अजुन सिंह	अजुन
2	सुरब सिंह	सुरब
3	वहाँदुर बिंह	वहाँदुरसिंह
4	मनोज सिंह	मनोज
5	खेल सिंह	खेल
6	दलीप किंग	दलीप किंग
7	मनोज सिंह	मनोजसिंह
8	गदन बिंह महर	गदन महर
9	जगदीश सिंह महर स्पूतला	Jagdev Singh Mahar
10	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
11	छुपा की	छुपा की
12	खीन्दु लेह	खीन्दु सिंह
13	चंचल सिंह	-चंचल सिंह
14	पुलाद सिंह	पुलाद सिंह
15	किशन सिंह	किशन सिंह
16	झलोक लंग	झलोक लंग
17	कुन्तर सिंह स्पूतला	कुन्तर सिंह
18	राजेन्द्र सिंह महर	राजेन्द्र सिंह
19	पंकज सिंह भट्ट	Pankaj
20	राम महर (स्पूतला)	Ram
21	चंद्री सिंह B.D.G बेच	चंद्री सिंह
22	बिलूपी सिंह बेच	Biloope Ram
23	प्रधान कमी बरकान्दु	

रियोजना का नामः— राज्य योजना में स्वीकृत मंच— बकोडा मोटर मार्ग का निर्माण।

ग्राम सभा से सम्बन्धित प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मंच से बकोडा तक प्रस्तावित मोटर मार्ग में ग्राम स्थूलोला एवं ग्राम — मंच एक ही ग्राम पंचायत है। जो कि ग्राम सभा मंच के नाम से है अतः ग्राम स्थूलोला एवं मंच के आम सभा बैठक की उपस्थिति एक साथ दी जा रही है।

प्रमाण
ग्राम संघान
ग्राम संघान
लला, बिहार

FORM-1**(FOR LINEAR PROJECTS)****Government of Uttrakhand****Office at the district collector Champawat**

No. 2951/

Date : 14-5-15

To whom so ever it may concern

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **7.921** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Lok Nirman Vibhag, Champawat** (name of user agency) for **Construction of Manch-Bakoda motor road under state sector.**

(Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of **Manch & Bakoda village(s) in Champawat Tehsil.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **7.921** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as **annexure 23 to annexure 23.2 total 04 pages.**
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Enclosure :- As above.

जलाधिकारी
Signature

(रमेश कुमार चौधरी)

(Full name and official seal of the District Collector)

Attachment - 1/6

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District Champawat (U.K.)

No.29.5.1/

Date : 14 - 5 - 2015

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest Dwellers (recognition of right) act (FRA), 2006.


A meeting of the district level committee of **Champawat** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss **Deependra Kumar Chaudhari** I.A.S deputy commissioner **Champawat** on dated **14-05-2015** at time **11:00 AM** at **Champawat** in which application claiming rights in **forest** area measuring **7.921 Hect.** for the **Construction of Manch-Bakoda motor road under state sector.** forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Champawat** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : **Champawat**

Dated : **14 - 5 - 2015**


**जिलाधिकारी
चम्पावत**
(DEEPENDRA KUMAR CHAUDHARI)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee


**संस्थान अधिकारी
प्रभाग संचयन लोकविवरण
अधिकारी
अधिकारी अधिकारी
ग्रान्तीय छण्ड, लोकविवरण
चम्पावत 'न्द्रसुरा'**


**प्रभामीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत**


**जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत**

परियोजना का नाम : - राज्य योजना के अन्तर्गत स्थीकृत मंच - बैठकोड़ा
स्टेट गार्ड का नियमण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चम्पावत
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, चम्पावत

उपखण्ड चम्पावत परिधेय के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत^{राज्य योजना के अन्तर्गत}
मंच-बैठकोड़ा (3.92 हेक्टर आरक्षित वन भूमि, 1015 हेक्टर सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.36 हेक्टर^{वन पचायत भूमि, अर्थात् कुल 7.985 हेक्टर वन भूमि}) का
लोक विकास अधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चम्पावत) की दिनांक 8-2-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री चरेश दुर्गामणि, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

	श्री चरेश दुर्गामणि उप जिलाधिकारी	चम्पावत	अध्यक्ष
1-	श्री चरेश दुर्गामणि उप जिलाधिकारी	लोटाधार	सदस्य
2-	श्री चरेश दुर्गामणि उप जिलाधिकारी	चम्पावत	सदस्य/सचिव
3-	श्री चरेश दुर्गामणि उप जिलाधिकारी	लोटाधार महार	सदस्य
4-	श्री चरेश दुर्गामणि उप जिलाधिकारी	वीरोडी सदस्य	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत की कृतियों के लिए वन नियमण हेतु 2.35 हेक्टर वन


भूमि प्रान्तीय रूप से लोक विकास चम्पावत की

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई गामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, लोटाधार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधिक रूप से वन अधिकारों की मान्यता सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत नं. ४ - ७९१/८
 होटल सार्वजनिक लाई 12.00 K.M. परियोजना के निर्माण हेतु ७. ९. १
 हे ० वन भूमि. ० नियोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित
 किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि :



जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

~~उपर्युक्त जिलाधिकारी~~
~~द्वारा~~

उपखण्ड स्वतंत्र वन अधिकारी समिति

तहसील :

जनपद :

~~उपर्युक्त जिलाधिकारी~~
~~से~~ अध्यक्ष

उपखण्ड स्वतंत्र वन अधिकारी समिति

तहसील ~~सम्पादक~~

जनपद :

परियोजना का नाम:- मंच - वा कोडा जीरा गांव

Attachment-1.6 B

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम लकड़ी

तहसील चम्पावत जिला चम्पावत

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला-चम्पावत उत्तराखण्ड में राज्य लोजना के अन्तर्गत स्थीरत
मंच - वा कोडा जीरा गांव नं. 12 M परियोजना के निर्माण हेतु (.....)

हेठो आरक्षित वन भूमि 31.920 हेठो सिविल सोयम भूमि 113.65 हेठो वन पंचायत भूमि 21.100 हेठो) अर्थात कुल 7.134 हेठो वन भूमि का लोक लिंगायत विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लकड़ी द्वारा दिनांक 8-2-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आपत्ति नहीं है।

चर्चा के स्पर्शन्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लकड़ी के वासियों को उक्त वन भूमि 7.134 हेठो लकड़ी की लिंगायत विवरण प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेठो-
लकड़ी
ग्राम सभित्व विकास अधिकारी

विंख्या/जनपद-चम्पावत

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

इमान
(ज्ञामा देवी)
ग्राम पंचायत/वा कोडा
विंख्या/प्रभावित विवरण

दिनांक 8-2-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

Attachment-1.6c

ग्राम पंचायत..... (कोड)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जी श्री ग्राम सीह भट्ट	पटलाल सीह
2.	पटेहां सीह भट्ट	पटलाल सीह
3.	पुतलां सीह भट्ट	पुतलाल सीह
4.	" नवीन सीह भट्ट	नवीन सीह
5.	" दिनेश सीह भट्ट	दिनेश सीह
6.	" सुनदर सीह भट्ट	सुनदर सीह
7.	" रमेश सीह भट्ट	रमेश सीह
8.	" अर्जुन सीह भट्ट	अर्जुन सीह
9.	" जोहर सीह भट्ट	जोहर सीह
10.	" जीन सीह भट्ट	जीन सीह
11.	" गोर सीह भट्ट	गोर सीह
12.	" गोर सीह भट्ट	गोर सीह
13.	" विजुपर सीह भट्ट	विजुपर सीह
14.	" दीपाल सीह भट्ट	दीपाल सीह
15.	" शशीर सीह भट्ट	शशीर सीह
16.	" जपर सीह भट्ट	जपर सीह
17.	" मर सीह भट्ट	मर सीह
18.	" चन्द्रन सीह भट्ट	चन्द्रन सीह
19.	" दृष्टि सीह भट्ट	दृष्टि सीह
20.	" शुदृग सीह भट्ट	शुदृग सीह
21.	" केदार सीह भट्ट	केदार सीह
22.	" केदार सीह भट्ट	केदार सीह
23.	" धार सीह भट्ट	धार सीह
24.	" रमेश सीह भट्ट	रमेश सीह
25.	" उदय सीह भट्ट	उदय सीह
26.	" विजुर सीह भट्ट	विजुर सीह
27.	" वचेल सीह भट्ट	वचेल सीह
28.	" नाथ सीह भट्ट	नाथ सीह
29.	" गव्य सीह भट्ट	गव्य सीह
30.	" दृष्टि सीह भट्ट	दृष्टि सीह
31.	" युकाम सीह भट्ट	युकाम सीह
32.	" बोध सीह भट्ट	बोध सीह
33.	" वदन सीह भट्ट	वदन सीह
34.	" रवीपवाल सीह भट्ट	रवीपवाल सीह
35.	" नंगा सीह भट्ट	नंगा सीह
36.	" छाण सीह भट्ट	छाण सीह
37.	" पाण सीह भट्ट	पाण सीह
38.	" केवल सीह भट्ट	केवल सीह
39.	धेर सीह भट्ट	धेर सीह
40.	माधो सीह भट्ट	माधो सीह
41.	पुजारी सीह भट्ट	पुजारी सीह
42.	नारायण सीह भट्ट	नारायण सीह
43.	भीम सीह भट्ट	भीम सीह
44.	कुमार सीह भट्ट	कुमार सीह
45.	कुन्दल सीह भट्ट	कुन्दल सीह